

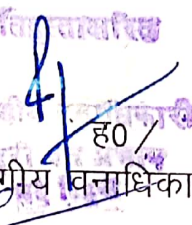
परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई-5.00 कि०मी०)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने वाले उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी


वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना राजि
चमियाला


ह०/
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारूप-2.23

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई-5.00 कि०मी०)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह० /
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह० /
वन क्षेत्राधिकारी
बलगंगा राजि
चमियाला

ह० /
प्रमाणित वनाधिकारी